

पत्रांक-श्रम क०सं०-62/2024-603

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, रोहतास के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रितों को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) एवं 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 60,000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निराकृता का स्थिति, कार्य की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01.	स्व० सरयु प्रसाद गुप्ता, 37 ब्रजा गुप्ता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	कमला देवी, (पत्नी)	60, 13.01.2026 589, 15.04.2024	ग्रा०-तेलपक, पो०-अमझोर, थाना+प्र०-रोहतास, जिला-रोहतास, 7870773451	3661911 9736	SBI, SBIN0 002900	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
02.	स्व० राम प्रवेश सिंह, 57 स्व० मानिचन्द्र सिंह, पिछड़ा वर्ग	लालमुनी देवी, (पत्नी)	62, 13.01.2026 590, 15.04.2024	ग्रा०-तुम्बा, पो०-रामडिहरा, थाना+प्र०-रोहतास, जिला-रोहतास, 9610814912	7400010 0067434	MBGB, PUNB0 MBGB 06	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
03.	स्व० लालमोहन राम, 49 स्व० भीखर राम, अनुसूचित जाति	लाली देवी, (पत्नी)	61, 13.01.2026 596, 15.04.2026	ग्रा०-अकबर पुर, पो०+थाना+प्र०-रोहतास, जिला-रोहतास, 7367898780	9895000 1000650 63	PNB, PUNB0 989500	रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ठेला चालक मजदूर

कुल :- रू० 1,60,000/-

(एक लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-62/2024-603

पटना, दिनांक :- ११/०५/2026

**प्रतिलिपि :-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रूपए) मात्र** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभागको सूचनार्थ प्रेषित।

05/05/2026  
Signed by Rohit Kumar

Date: 05-05-2026 13:02:25

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhardi

Signed by Rajesh Bhardi

Date: 07-05-2026 17:27:34

कार्यकारी निदेशक